न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 12/24 सन् 2024

GCMS NO-2024/ 55

बउनवानीः—1. लीला पुत्र माधो जाति हरिजन निवासी भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा सवाईमाधोपुर

बनाम

1. तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 974 दिनांक 27.7.1976 वाके ग्राम भगवतगढ तह0 सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री हिम्मत सिंह राजावत — वकील अपीलान्ट

2. श्री विष्णु माथुर नायब तहसीलदार — सरकार पैरोकार

—: निर्णय :— दिनांक 26.11.2024

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा के द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 974 निर्णय दिनांक 27.7.1976 वाके ग्राम भगवतगढ तहसील चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। यह तर्क भी दिया कि वाके ग्राम भगवतगढ के आराजी ख0न0 2165/2 रकबा 5 बीघा का आवंटन दिनांक 23.10.1975 को हुआ था। उक्त आवंटन के उपरान्त प्रार्थी को कब्जा दिया गया है तथा आवंटन से लेंकर आज दिनांक तक अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त होने के कारण उक्त भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी का नामा0 संख्या 974 दिनांक 27.7.1976 को भरकर दर्ज फैसल किया गया है। उक्त नामा0 के कॉलम संख्या 11 मे लाला पुत्र माधो भंगी अंकित किया गया है किन्तु तहसीलदार द्वारा की गयी टिप्पणी में अपीलान्ट का नाम के स्थान पर अपीलान्ट के पिता माधो के नाम से गैर खातेदारी दिये जाने के आदेश पारित कर दिये जो विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि न्यायालय द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा से तलब की गयी रिपोर्ट मे भी अंकित किया है कि आराजी ख0न0 2165/2 रकबा 5 बीघा [illegible] 3021 रकबा 1.27 है0 का आवंटन लीला पुत्र माधो भंगी के नाम हुआ था एवं [illegible] हल्का द्वारा लीला को ही कब्जा संभलाया गया है किन्तु गैर खातेदारी का नामा0 [illegible] के पिता माधो के [illegible] फैसल हुआ है। अतः आदेश जैर अपील विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने [illegible] वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:45 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(अपील नामा0 संख्या 12/2024 उनवानी लीला बनाम सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा)

विद्वान पैरोकार राजस्व ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा से प्राप्त रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि वाके ग्राम भगवतगढ के आराजी ख0न0 2165/2 रकबा 5 बीघा हाल ख0न0 3021 रकबा 1.27 है0 का आवंटन अपीलान्ट लीला पुत्र माधो भंगी के नाम हुआ था जिसका कब्जा भी लीला पुत्र माधो भंगी को तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा संभलाया गया है किन्तु उक्त आवंटन के पश्चात गैर खातेदारी का नामा0 संख्या 974 दिनांक 27.7.1976 को अपीलान्ट लीला के पिता माधो के नाम गैर खातेदारी का नामा0 दर्ज फैसल कर दिया गया है जो आवंटन आदेश से विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार राजस्व द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हमं इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 974) अपीलान्ट लीला पुत्र माधो को आवंटित भूमि वाके ग्राम भगवतगढ के आराजी ख0न0 2165/2 रकबा 5 बीघा हाल ख0न0 3021 रकबा 1.27 है0 की गैर खातेदारी का नामा0 दर्ज फैसल करते समय आवंटी लीला के स्थान पर उसके पिता माधो भंगी का नाम अंकित कर दिया है जिसकी पुष्टि तहसीलदार चौथ का बरवाडा से तलब की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट से हो जाती है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार तहसीलदार को आवंटन आदेश दिनांक 23.10.1975 के अनुसार अपीलान्ट के नाम गैर खातेदारी का नामा0 भरकर दर्ज फैसल करना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 974 निर्णय दिनांक 27.7.1976) खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:00:45 IST
Reason: SelfAttested

(शुभम चौधरी)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner